(B2)

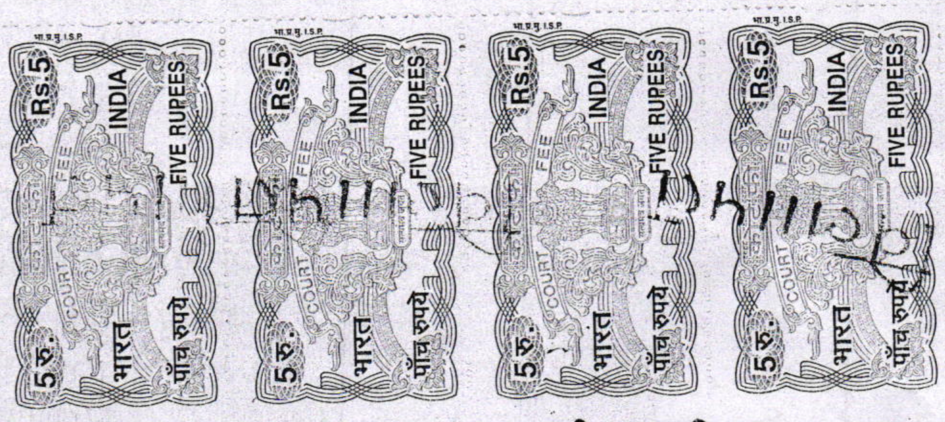

निदिष्ट

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निदिष्ट - 9003 - I-16

प्रकरण क्रमांक /२०१६ विविध

जयदेवी वेवा पत्नीश्री मुलायम सिंह,
पुत्री श्री छविराम ब्राह्मण,
निवासी ग्राम मुरैना गांव हाल निवासी
ग्राम अजनोध, तहसील व जिला मुरैना-म०प्र० ।

श्री एस० के० कुलश्रेष्ठ, अभि० द्वारा आज दि. 18-1-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18/1/16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

------- आवेदक

विरुध्द

श्रीधर पुत्र पंचम सिंह जाति ब्राह्मण,
निवासी पंचम वाली गली, कलेक्टर बंगले के पीछे,
मुरैना गांव हाल निवासी- गैनापुरा, मुरैना ।

9-1-9/92

--------अनावेदक

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा १५२ सी०पी०सी० सहपठित धारा ३२-म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १६५६, गलत लिपकीय भूल सुधार हेतु । प्र०क्र० - १५६१-दो/२००६ निगरानी में पारित आदेश दिनांक १६-११-१५ ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9003 –एक / 16 जिला – मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.1.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा 152 सी0पी0सी0 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 गलत लिपिकीय त्रुटि भूल सुधार हेतु प्रस्तुत किया है । उनके द्वारा निवेदन किया है कि निगरानी प्रकरण कमांक 1591–दो / 2006 में पारित आदेश दिनांक 16.11.15 सन्दर्भ एवं पद कमांक 1 की प्रथम पंक्ति में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग टाइप हो गया है। जबकि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना टाईप होना चाहिये था जैसा कि अभिलेख में स्पष्ट है। 2– उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि आदेश के पद क0 2 के द्वितीय पद कमांक 8 के प्रथमभाग में विचारण न्यायालय अर्थात तहसीलदार परगना मुरैना द्वारा पारित आदेश का दिनांक 23.8.02 टाईप हो गया हे जबकि आदेश दिनांक 29.8.02 टाईप होना चाहिये। अतः पद कमांक –1 की प्रथम पंक्ति में अपर आयुक्त ग्वालियर की जगह अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना पढ़ा जावे। तथा पद	

क्रमांक 8 के प्रथम भाग में विचारण न्यायालय अर्थात तहसील परगना मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.8.02 की जगह 29.8.02 पढ़ा जावे । यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी ।

सदस्य